(वाद सं0.-1971/4/36/2020)

12.04.2021

प्रसंगाधीन मामला सीतामढ़ी जिला के दो प्रखंड, परिहार और बोखरा, के नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी** के साथ **अनुलग्नित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बोखड़ा** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **"परिहार एवं बोखड़ा प्रखंड के नियोजित शिक्षकों का माह जनवरी 2020 को वेतन का भुगतान किया जा चुका है।"**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के भुगतान संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर लंबित वेतन को भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको सहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक